# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 81 / 2020 प्रा.पत्र / 2020 | 23.10.2020 | 25.01.2024 |

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री महेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री देवकरण गुर्जर एफ.बी.ओ. मैसर्स देव दूध डेयरी आंवा रोड दूनी जिला टोंक राज. निवासी बिशनपुरा पोस्ट आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज. पिनकोड–304802

.....अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2008 रूल्स 2011**

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री गोरधन चन्देल एड. उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 25.01.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.07.2020 को समय 12:02 पीएम पर मैसर्स देव दूध डेयरी आंवा रोड दूनी जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री महेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री देवकरण गुर्जर मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महेन्द्र गुर्जर ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर बताया कि प्रतिष्ठान नया खोला ही है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **घी खुला (Loose)** प्लास्टिक बाल्टी में लगभग 7–8 किलोग्राम रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री महेन्द्र गुर्जर को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री महेन्द्र गुर्जर व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी खुला (Loose)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, कुल 800 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी खुला (Loose)** 800 ग्राम को चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में बराबर–बराबर 200–200 ग्राम भरकर अच्छी



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2490 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2490 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/2544 दिनांक 05.08.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस. /888/एक्ट/2020/952 दिनांक 22.07.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी खुला (Loose)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zz)(iv) के अनुसार **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट विक्रेता श्री महेन्द्र गुर्जर को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी। उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध धारा 46(4) के तहत समयावधि में विक्रेता श्री महेन्द्र गुर्जर ने पुनः नमूना जांच हेतु अपील दायर की जिस पर नमूना पुनः जांच हेतु निदेश रैफरल फूड लैब मैसूर में जांच हेतु भिजवाया गया।

निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए./496एफ/2020 दिनांक 05.10.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी खुला (Loose)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य हैं। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री गोरधन चन्देल उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी खुला (Loose)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी खुला (Loose)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 15,000/– (अक्षर पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.01.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0